निर्णय व इजलास सुश्री पूजा मीणा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–81/2023
दायरा दिनांक :–17.07.2023
निर्णय दिनांक :– 13.8.24

उनवान

विष्णुगोपाल आयु 50 वर्ष पुत्र श्री बृजमोहन शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बामला तह0 बारां जिला बारां राज0
श्रीमति विजया शर्मा आयु 48 वर्ष पत्नि श्री विष्णु कुमार उर्फ विष्णु गोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी बामला तह0 बारां जिला बारां राज0

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, बारां जिला बारां राज0

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 13.8.24

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दावा पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 व राज0 टी0 ए0 एवं धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट अप्रार्थी गण द्वारा इस आशय का पेश किया गया। यह है कि वाके माल बामला तह0 बारां में पूर्व आराजियात पुराना खसरा नं0 2585/440 रकबा 1 बीघा, 1 बिस्वा, खसरा नं0 2597/557 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं0 938 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं0 1608/942/923/943 रकबा 41 बीघा 1 बिस्वा, कुल 4 किता कुल रकबा 48 बीघा 14 बिस्वा, मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2012–2015 में दर्ज थी। वादी क्रम 1 व 2 के दादा/दादी ससुर माधो पुत्र श्री गोपीलाल जाति ब्राहम्ण वास गांव बामला राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। जो इस प्रार्थना–पत्र की विषयवस्तु है तथा इसे आगे विवादित भूमि कहा गया है। अप्रार्थी द्वारा सम्वत 2015 से 24 के लिए नवीन बंदोबस्त करवाने पर विवादित भूमि के नये खसरा नं0 558 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 976 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं0 980 रकबा 40 बीघा 8 बिस्वा कायम किया गया है जिसे हाल सेटलमेन्ट सं0 में नये खसरा नं0 787 रकबा 0.18 हे0, खसरा नं0 0965 रकबा 0.02 हे0, खसरा नं0 966 रकबा 6.50 हे0, खसरा नं0 981 रकबा 0.79 हे0 कुल रकबा 7.68 हे0 कायम किये है जो हाल जमाबन्दी सं0 2072–2075 में आराजियात खसरा नं0 583 रकबा 0.19 हे0, खसरा नं0 787 रकबा 0.18 हे0, खसरा नं0 965 रकबा 0.02 हे0 खसरा नं0 966 रकबा 6.50 हे0 खसरा नं0 981 रकबा 0.79 हे0 कुल 5 कुल रकबा 7.68 हे0 प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जमाबन्दी सं0 2012–2015 के अनुसार गत सेटलमेन्ट में साधारण गुणन के अनुसार भी 48 बीघा 14 बिस्वा का क्षेत्रफल नवीन राजस्व रिकार्ड में हे0 होना चाहिये था। इसके विपरित अप्रार्थी ने आराजी का रकबा मात्र 7.68 हे0 ही कायम किया है। इस प्रकार वादी की भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.09.24 11:43:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

रकबा 0.14 हे0 कम दर्ज किया गया है। जिससे प्रार्थीगण के सांपत्तिक अधिकारों को खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो गई है। अप्रार्थी का विधिक दायित्व था। कि वह प्रार्थी गण की विवादित भूमि का रकबा नवीन राजस्व रिकार्ड में सही तौर पर यथापूर्व स्थिति अनुसार दर्ज करता, मौके पर प्रार्थीगण 7.82 हे0 भूमि पर ही काबिज है। अप्रार्थी ने बंदोबस्त करते समय गलती भूल से रकबा कम किया है जो असक्षम है। प्रार्थी गण की भूमि का रकबा कम हो जाने से प्रार्थीगण अपने को प्राप्त खातेदारी अधिकारों से वंचित हो गये है। प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में यथापूर्व स्थिति अनुसार भूमि का रकबा सही दर्ज करा पाने के अधिकारी एवं नालिशी है तथा प्रार्थीगण की उक्त आराजियात का किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उक्त आराजियात नाप–जोख (पेमाईश) वर्तमान संशोधित ऑनलाईनशीट एवं सेटलमेन्ट से पूर्व नक्शानुसार करवाने के लिये प्रार्थीगण के हक में अप्रार्थी के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने के अधिकरी है। प्रार्थीगण ने प्रथम दृष्टया मामला ठोस तथ्यों पर आधारित करवाया है। तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि प्रार्थीगण के खाते में दर्ज कम रकबा आराजी को अप्रार्थी सरकार द्वारा अन्यत्र व्यक्ति को आंवटन कर प्रार्थीगण को उनके पूव में दर्ज खातेदारी की आराजी से बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्वनीय क्षति जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नही है। इसलिये ताफैसला वाद पत्र प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधि संगत एवं न्यायहित में होगा। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलव किया गया। प्रार्थी गण की ओर से नकल जमाबन्दी ग्राम बामला सम्वत 2012–2018, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम बामला सम्वत 2015–2024, नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2015–24, नकल जमाबन्दी ग्राम बामला सम्वत 2032–35, नकल जमाबन्दी भू. प्रबन्ध विभाग सम्वत 2038–57, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2038–57 नकल जमाबन्दी ग्राम बामला सम्वत 2072–75 खाता संख्या 481, पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बामला तह0 बारां में स्थित है उक्त भूमि सम्वत 2012–15 में प्रार्थी क्रम 1 व 2 के दादा ससुर माधो पुत्र गोपीलाल ब्राहम्ण के नाम दर्ज थी हाल जमाबन्दी सम्वत 2072–75 में विवादित आराजी प्रार्थी गण के नाम दर्ज रिकार्ड है सेटलमेन्ट से पूर्व 48.14 बीघा भूमि दर्ज थी जो नवीन राजस्व रिकार्ड में 7.82 हे0 होना चाहिये था। इसके विपरित 7.68 हे0 ही कायम किया है इस प्रकार प्रार्थी गण को 0.14 हे0 कम दर्ज किया गया है। मौके पर प्रार्थी गण 7.82 हे0 भूमि पर काबिज है अप्रार्थी के बन्दोबस्त करते समय गलती/भूल से रकबा कम कर दिया जो दुरूस्त योग्य है प्रार्थी गण के हक में अप्रार्थी के विरुद्व ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमावें। प्रार्थी गण के खाते में दर्ज कम रकबा को अप्रार्थी सरकार द्वारा अन्यत्र व्यक्ति को आवंटन करर प्रार्थीगण को उनके पूर्व में खातेदारी की आराजी से बेदखल कर दिया गया। तो प्रार्थी गण को अपूर्णनीय क्षति होगी अप्रार्थी को ताफैसला वाद अस्थाया निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावें।

Signature Not Verified

बहस अभिभाषक प्रार्थी सु[illegible] गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम [illegible]–15 खाता संख्या 15 में माधो बेटा

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.09.24 11:43:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

गोपीलाल के खाते में 48.14 बीघा भूमि खाते दर्ज है। नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2015–24 खाता संख्या 131 माधो पुत्र गोपीलाल के 48 बीघा भूमि खाते दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम बामला सम्वत 2032–35 खाता संख्या 132 बृजमोहन पुत्र माधोलाल व ओकारी बेवा माधोलाल के खाते में 48 बीघा दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम बामला सम्वत 2038–57 खाता संख्या 213 में 7.68 हे0 प्रार्थी गण के खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम बामला सम्वत 2072–75 खाता संख्या 481 कुल रकबा 7.68 हे0 प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी सेटलमेन्ट से पूर्व 48.14 बीघा भूमि थी। सेटलमेन्ट के वाद 48 बीघा भूमि दर्ज रिकार्ड है तथा वर्तमान में 7.68 हे0 भूमि दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी की 14 बिस्वा भूमि कम दर्ज की गई है परन्तु प्रार्थी गण द्वारा यह प्रार्थना पत्र में नही बताया कि किस खसरा नम्बर से कमी पूर्ति की जानी है। पडोसी खातेदारान को पक्षकार नही बनाया है कमी पूर्ति पडोसी खातेदारों की भूमि से करनी है। किस खसरा नम्बर में 0.14 हे0 बढी हुई है। प्रार्थी द्वारा सथगन आदेश की शर्तो की पूर्ति नही की गई।

1. प्रथम दृष्टया – प्रथम दृष्टया मामला ठोस तथ्यों पर आधारित नही है। क्योकि प्रार्थी का रकबा किस खसरा नम्बर में बढाया गया है किस खसरा नम्बर से उस रकबे की कमी पूर्ति की जानी है। प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि की पूर्ति करने हेतु कोई ठोस आधार प्रस्तुत नही किया है।

2. सुविधा का सन्तुलन – प्रार्थी द्वारा सेटलमेन्ट के वाद रकबा 48 बीघा दर्ज होना तथा सेटलमेन्ट के वाद में 7.68 हे0 भूमि दर्ज किया जाना बताया है प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नही किया जिससे यह स्पष्ट हो सकें कि प्रार्थी की भूमि का रकबा कम किया गया है किस खसरा नम्बर में से प्रार्थी की पूर्ति की जानी है। जउय खातेदार को प्रार्थी द्वारा पक्षकार नही बनाया गया। इसलिए सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नही है।

3. अपूर्णनीय क्षति – प्रार्थी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन आदेश चाहा गया है परन्तु प्रार्थी द्वारा यह स्पष्ट नही किया है कि स्थगन आदेश किसके विरुद्व चाहिये। प्रार्थी की भूमि कौन बेदखल कर कब्जा करना चाहता है। यह प्रार्थी द्वारा स्पष्ट उल्लेख नही किया गया है इससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति होने की संम्भावना नही है प्रार्थी को स्थगन आदेश की आवश्कता प्रतीत नही होती है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक–आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखा जाकर सरे इनलास सुनाया गया।

(पूजा मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी बा

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.09.24 11:43:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner